

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)  
secretarylaw@rajasthan.gov.in

क्रमांक प. 12(15) राज/वाद/08 पार्ट

जयपुर दिनांक: 14/6/23

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.19 के द्वारा श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष उर्जा विभाग के प्रकरण पैरवी हेतु आवंटित किये गये थे।


श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष पैरवी हेतु आवंटित उर्जा विभाग उनसे प्रत्याहारित (withdraw) कर श्री के.के. बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को उन्हें पूर्व से आवंटित कार्य के अतिरिक्त, पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है।

हो-

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, उर्जा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग के प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को आपके विभाग से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल से प्राप्त कर श्री के.के. बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित करावें।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
8. गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को निर्देशित किया जाता है कि वे उर्जा विभाग से संबंधित समस्त प्रकरणों की पत्रावलियां श्री के.के. बिस्सा को सुपुर्द करावे।
11. श्री के.के. बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
14. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
16. कोषाधिकारी, जोधपुर।
17. लेखा शाखा, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

  
14/6/23  
शासन सचिव, विधि